न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 275 / 2018
आरसीएमएस नं. 2018 / 00396

गोमासिंह पुत्र श्री छबीलसिह जाति रायसिख निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय 13.02.2018 उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 86 / 2017 बअनवानी सरकार बनाम गोमासिह

श्री संजय चांडक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक – 27.7.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट / प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के ख. नं. 1173 रकबा 3.069 है0 वर्तमान गोमासिंह पुत्र छबीलसिह जाति रायसिख के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2050 में उक्त रकबा किसी भी सरकारी खाते में नहीं है तथा आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं. 8033 दिनांक 22.06.2000 को आवंटन किया गया है तथा उक्त वर्णित रकबा किसी भी सरकारी खाते में नहीं होते हुए भी आवंटन किया गया जो निरस्त योग्य है। अतः इस आवंटन को निरस्त किया जावे। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रश्नगत आवंटन को निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत रकबा अपीलाण्ट को उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (रा0 न0 यो0 क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत आवंटन की पात्रता बाबत व आवंटित भूमि संबंधि रिपोर्ट लेकर प्र0 सं0 243/98 से दिनांक 26.02.2000 को कीमत पुख्ता आवंटन किया गया है। उक्त पुख्ता आवंटित रकबे की देय कीमत की समस्त किश्त राशि भी तहसील पीलीबंगा के टी.आर.ए. शाखा में जमा कर दी गई थी। तत्कालीन उप जिला कलक्टर पीलीबंगा हनुमानगढ के द्वारा अपीलांट को उक्त किमतन आवंटित रकबे को बाबत पुनः विधिवत जांच कर रकबे की रिपोर्ट लेकर दिनांक 29.05.2013 को खातेदारी सनद प्रदान की गई है। राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जांच नहीं की बिना जांच किए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। पक्षकारों के साक्ष्य नही लिए गये ना ही अंतिम बहस सुनी गई और यह विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। करीब 35 वर्ष पुराने हुए आवंटन को केवल संदेह के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं है। मातहत अदालत का यह दायित्व था कि वे भू धारक से खसरा नं. 1173 की बाबत पूर्ण खुलासा रिपोर्ट लेते कि खसरा नं. 1173 में कुल कितना रकबा है? तथा घग्गर व वन विभाग को आवंटन हो चुकने के बाद इस खसरा में क्या किसी काश्तकार को भी भूमि काश्त हेतु आवंटित हुई अथवा नहीं। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत रकबा किसी भी सरकारी खाते में दर्ज नहीं तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर रिट सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है तथा राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित है। आवंटन आदेश बिना किसी जांच के पारित किया गया होने के कारण आवंटन आदेश को अपीलाधीन आदेश के द्वारा खारिज किया गया है। अतः अपील अपलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलाकन किया।
6. ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1173 रकबा 3.668 है0 वर्तमान गोमा पुत्र छबीलसिंह जाति रायसिख के नाम खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2050 में उक्त रकबा किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भी सरकारी खाते में दर्ज नहीं है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर रिट सं0 1536 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में भी प्रतिबंधित है एवं राजस्थान टिनेन्सी एकट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम बड़ोपल के ख. नं. 1173 रकबा 3.669 का आवंटन निरस्त किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

27/7/22

(करतारसिह पूनीयॉ)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़